<u>कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी–गोरखपुर</u>

पत्रसं0:–सी0एफ0ओ0 / निरीक्षण–एफ0एस0–2016 दिनांक:–22 / 04 / 2016

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य
मेंसर्स होप डाइसन मेमोरियल स्कूल,
बशारतपुर–गोरखपुर।

विषय:–आपके होप डाइसन मेमोरियल स्कूल, बशारतपुर–गोरखपुर स्कूल भवन में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोंण से निरीक्षण कर अग्निशमन का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–आपका पत्र सं0 शून्य दिनांक 19 / 04 / 2016

उपरोक्त विषयक सदर्भ में आपके होप डाइसन मेमोरियल स्कूल, बशारतपुर–गोरखपुर में स्थापित अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोंण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये।

1. पहुॅच मार्ग:– स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकतें हैं।
2. स्कूल भवन में एन.बी.सी. मानक के अनुसार अग्निशमन कार्य हेतु भवन के टेरेस टैंक 5000 ली0 क्षमता का तथा 450 एल0पी0एम0 का टेरेस पम्प वाछित है।
3. स्कूल भवन में एन.बी.सी. मानक के अनुसार फर्स्टएड होजरील सिस्टम वांछित है।
4. भवन में निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह कार्यशील पाये गये।
5. भवन में निकास मार्ग की व्यवस्था मानक के अनुसार कार्यशील पाये गये।
6. भवन में स्थापित सभी फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील, संन्तोषजनक दशा में पाया गया।
7. स्कूल में कार्यरत उपस्थित सभी कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रो को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8. ज्वलनशील पदार्थों का रख रखाव सुव्यवस्थित पाया गया।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगा पाया गया।
10. सेट बैक मानक के अनुसार वाछित है।
11. निषक्रमण योजना एवं ड्रिल कराया जाना वाछित है।
12. भवन में मार्क ड्रिल कराया जाना वाछित है।

अतः उपरोक्त सभी अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इण्डिया 2005 तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली 2005 के नियम 04 व मानक सं0 2190::1992 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था कराया जाना प्रबन्धक / प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन / जीवरक्षा व्यवस्था का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से 01 वर्ष तक वैद्य माना जाएगा। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने के कारण तथा दिये गये निर्देशों का पालन न करने की दशा में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

22/4/16

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर।

—::—